

कार्यालय ग्राम पंचायत-

परिवहन

गिकारा स्वरूप

जातीय

जनपद-

जातीय

पा.म.

पा.म.

दिनांक 24/05/23

विषय:- जल जीवन मिशन (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की इकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मानदण्ड

अवगत कराना है कि दिनांक 24/05/23 को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत ने नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, पार्षदगिक/जूरहाईस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, ऑगनवाही कार्यकर्ता/ग्रामगिरा, कोटेंदार, प०एन०एम० एवं आरा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उगत बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर धार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर धार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिशार के गुखिया द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

अल: अनुरोध है कि कृपया रथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का काट चारे।

रामलग्नक: परिवारों द्वारा इस्तातारित सहमति पत्र।

M.P. Singh
(Director)
Uttima Foundation
Karanasi (J.P.)

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायताधारी कार्यालय
विधानसभा नगरी, गाजीपुर

भवदीग,



ग्राम प्रधान

सहायक विकास अधिकारी (पा.)
विधानसभा नगरी, गाजीपुर।



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी नितिविधियों की पहचान करना जो याम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (याम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अपीत दी.इच्च्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और दी.इच्च्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले याम समा में अनुमोदित की जाती हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है।)

- | | |
|--|-----------------------|
| प्रदान का जाता है: | <u>24/05/23</u> |
| याम सभा में अनुमोदन की तारीख: | <u>14/07/23</u> |
| डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख: | |
| 2. याम का नाम: | <u>मुरदानपुर</u> |
| याम पंचायत का नाम: | <u>मुरदानपुर</u> |
| ब्लॉक का नाम: | <u>ज़िले विधायिका</u> |
| ज़िला का नाम: | <u>ज़िले विधायिका</u> |
| राज्य का नाम: | <u>उत्तर भूदेश</u> |
| याम जनसंख्या कोड: | |

(यदि बाग हो तो, उस्तियों की संख्या और उनके नाम)

१. शाम पंचायत संकल्प
 ३. शाम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) नवेशी बुँडों को और ...५. (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् Q. घन्टे निर्धारित गुणवत्ता • बाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष २५ तक ३०० [शामील परिवारों को] उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना हम, शाम समुदाय के लोग, अपनी अंतःशाम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनात्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-नखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने नंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठे पानी को बचाएंगे।
 यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का १०%, प्रचालन और रख-नखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

ii. याम पंचाक्षर और/या इसकी उप-समिति, प्रयोगत वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): ग्राम पंचायत रख-रखाव के लिए समिति
 समिति को क्या कहा जाता है: प्रधान ग्राम पंचायत के लिए समिति
 अध्यक्ष का नाम: प्रधान
 लिंग: महिला
 आया:

माम पंचायत अधिकारी
माम पंचायत
०६०-भावन्नपुर
M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)



III. सामान्य विवरण

6.

1510
1010
510
485
345

1010
250
100
50
40

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती घरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): 121 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घरण - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): 313 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): 415

9. कृषि फसल पैटर्न: _____



10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. म): 150 से 160 मि.मी.

11. स्थलाकृति (समतल, ढालान, आदि): समतल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)
(‘शाम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

हाँ

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)
(‘शाम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

हाँ

14.	पानी का उपलब्ध करने वाली सभी सरकारी सेवाएँ	पानी का उपलब्ध करने वाली सभी सरकारी सेवाएँ	पानी का उपलब्ध करने वाली सभी सरकारी सेवाएँ	पानी का उपलब्ध करने वाली सभी सरकारी सेवाएँ
2.	आवासनवादी			
4.	शाम संधायत बोर्ड			

वानी की कृत दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 73.11 के.एल.डी.
मधेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 52 के.एल.डी.
मधेशी कुंडों की आवश्यक संख्या: 2
मध्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 121.1 के.एल.डी.
अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 313 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गेंद में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकृत्य/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न,
पानी की उपलब्धता की सामाजिक प्रवृत्ति: नहीं

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेल गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: नहीं

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त नहीं

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: दस्त, भूरिया, पर्यावरण, हजा
पानी की गुणवत्ता



20. फील्ड परीक्षण किट / वायरल का उपयोग करके समुद्राय के साथ जल गुणवत्ता की चौकरी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: _____

21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पैथञ्जल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत
का नाम (आवस्थिति): _____

कमड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गैर्थ के कुछ नरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्थान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं:



सोत स्थायित्व

24. भू-जल सोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हॉ/नहीं) नहीं
25. गाँव में उन मौजूदा जल अंडारों की सूची जिनका कार्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है: ३०, तालाब
गंदला जल का प्रबंधन
26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): _____ के.एल.डी.
- अलग-असग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: ५०
उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: १६
आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: १५
क्या अपरिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हॉ/नहीं): हॉ
यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: झीमो
यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के बीच से अन्य उर्ध्वांशों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.डी.सी. प्रदान किए जाएंगे:
- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एम.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
 - पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
 - निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/सिंग वाटर/स्थानीय या परातीली जल वाले गांवों में एस.डी.एस.
 - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.डी.एस.
 - वाटर गिड/सेवीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
 - जिन्होंने सार ऊर्जा आपारित पी.डब्ल्यू.एस. औ एकान्त/आदिवासी बसितमां में स्थित हैं
28. अभिनिर्धारित जल सोत: _____ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: _____
इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: _____
वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.डी.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को संपूर्ण दी जाएगी: _____
योजना की तारीख: _____ भारत सरकार का हिस्सा: _____ राज्य का हिस्सा: _____
समुदाय का हिस्सा: _____ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: _____
दार्यिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/
प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

- (निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

प्रयोक्ता नाम	प्रयोक्ता विवरण	प्रयोक्ता विवरण	प्रयोक्ता विवरण
प्रयोक्ता नाम	प्रयोक्ता विवरण	प्रयोक्ता विवरण	प्रयोक्ता विवरण
प्रयोक्ता नाम	प्रयोक्ता विवरण	प्रयोक्ता विवरण	प्रयोक्ता विवरण
प्रयोक्ता नाम	प्रयोक्ता विवरण	प्रयोक्ता विवरण	प्रयोक्ता विवरण



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन बायर्कल्जन (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	सरकार का विभाग भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आरडब्ल्यूएच/ कृतिम पुनर्जीवन, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीणांदार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीणांदार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिर्फाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक उपलब्धता वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिर्फाई का प्रयोग, एकीकरण से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	बनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन, वॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आरडब्ल्यूएस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समय शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पैदल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कर्टेक्टर के पास उपलब्ध चिकित्साधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिसा खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फा)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांस्कृतिकी और कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतर्गाम अवसंरथना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतर्गाम अवसंरथना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्गाम अवसंरथना	
दानदाता/प्रायोजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: नीति

पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): _____

संपर्क विवरण

गाम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष: पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकटी सुनिश्चित करने के लिए सांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. कृष्ण सिंह देवी	W/O कृष्ण यादव	Mo. 8112696592
2. रमेश यादव	W/O रमेश यादव	Mo. 895314599
3. रमना लश्मण	W/O लश्मण	Mo. 9580670503
4. उमा यादव	W/O उमा यादव	Mo. 6394102662
5. नीति यादव	W/O नीति यादव	Mo. 9809882721

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

